न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/78/2019

उनवान

1. उदय लाल पिता मगना जाट निवासी लादूवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. रम्भा पत्नि मगना जाट निवासी लादूवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती मनभरी पत्नि लोभचन्द जाट, निवासी लादूवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 446/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.2019

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा में खसरा नम्बर 2379 रकबा 1 बीघा भूमि जमाबंदी संवत 2045 से 2048 में वादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 के पिता व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट के नाम दर्ज थी। वादी संख्या 1 के पिता व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट ने वादग्रस्त आराजी में से 1000वर्ग गज भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु एस डी एम साहब, भीलवाडा के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 199/1990 कायम हुए, जिसका दिनांक 7 जुलाई 1990 को आदेश पारित फरमाते हुए 1000 वर्गगज भूमि वादी संख्या 1 के पिता वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट के नाम पर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का आदेश किया गया । उक्त संपरिवर्तन शुदा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा कायम किये गये व नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 25 जुलाई 1990 के वादी संख्या 1 के पिता, व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट के नाम पर दर्ज करने हेतु स्वीकृत किया गया । उक्त संपरिवर्तन शुदा भूमि पर वादी संख्या 1 के पिता व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट काबिज थे व उनके देहान्त के उपरान्त वादीगण उक्त आराजी नम्बर 3415/2379 पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त संपरिवर्तनशुदा भूमि व मूल आराजी नम्बर 2379 दोनों सटमा है तथा उक्त आराज़ी पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीसंख्या 1 जो वादीगण की उक्त भूमि को हडप करना चाहती है इसी गरज से आये दिन वादीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा करती है व जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य करने की धमकियॉ देती है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं है। दिनांक 2 अक्टूबर 2017 को वादीगण अपनी वादग्रस्त आराजी पर ही थे कि प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर आकर कुछ व्यक्तियों को लेकर आये व वादीगण को जबरन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि से बेदखल करने लगी इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया व कहा कि उक्त वर्णित आराजी वादीगण की है जिस पर वादीगण काबिज है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 मानने को तैयार नही हुई व प्रतिवादी संख्या 1 जाते जाते धमकी देकर गई कि हम तुम्हारी भूमि पर जबरन कब्जा करके रहेंगे व हम तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल करके रहेंगे व भूमि पर जबरन अवैध निर्माण करके रहूँगी । जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र पेश किया व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया ।

2. उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादीसंख्या 1 द्वारा आराजी नम्बर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा में अवैध तौर पर कब्जा करना चाह रही है जिस पर राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं होकर बिलानाम गैरकाबिल काश्त दर्ज है । जबकि उक्त भूमि वादीं संख्या 1 के पिता व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट के नाम पर संपरिर्वतन होकर वादीगण की है। बिलानाम गैर काबिलकाश्त गलत तौर पर दर्ज हुई है। अतः ग्राम लादुवास पटवार हल्का लादुवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3415/2379 रकबा 7 बिस्वा भूमि जो कि वादी संख्या 1 के पिता व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट की है जिसें राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक तरीके से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की है, वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा उक्त भूमि को बिलानाम से हटा कर अपने नाम पर दर्ज कने की अधिकारी है। अतःलादुवास पटवार हल्का लादुवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3415/2379 रकबा 7 बिस्वा भूमि जो कि वादी संख्या 1 के पिता व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट की है जिसें राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक तरीके से बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज की है, वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा उक्त भूमि को बिलानाम से हटा कर अपने नाम पर दर्ज करने की अधिकारी है तदनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेडा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा भूमि से या उसके किसी भू भाग से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें, न हीं किसी अन्य से करावे, व वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं करें और न हीं किसी अन्य से करावे व न ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि हो। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन वादग्रस्त आराजी के वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर लेवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा वादीगण को पुनः दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.2019 विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि आलोच्य निर्णय एवं डिक्री किसी भी विधिक सिद्धान्त एवं कानून को ध्यान में रखकर पारित नहीं किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होकर खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पिता एवं अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पति स्व0 श्रीमगना जाट के अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2379 रकबा 1 बीघा ग्राम लादूवास तहसील माण्डल हाल तहसील करेडा में स्थित थी । अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पिता एवं अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पति स्व0 श्रीमगना जाट ने उक्त आराजी संख्या 2379 रकबा 1 बीघा में से 1000 वर्गगज (7 बिस्वा) भूमि को दिनांक 7.7.1990 को उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से आवासी उपयोग हेतु संपरिवर्तन करायॉ था जिसके तरमीम नम्बर 3415/2379 रकबा 7 बिस्वा कायम किये गये। राजस्व अधिकारियों ने उक्त आवासीय उपयोग हेतु संपरिवर्तित कराई आराजियात जिसके नये नम्बर 3415/2379 रकबा 7 बिस्वा बने जिसके खातेदार का नाम बिना किसी आधार के गलत तरीके से अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पति स्व0 श्रीमगना जाट के स्थान पर बिलानाम गैर काबिल काश्त अंकित कर दिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। क्योंकि उक्त आराजियात अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पति स्व0 श्रीमगना जाट के के अधिकार एवं आधिपत्य की थी। राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये उक्त गलत अंकन को दूरूस्त कर आराजी संख्या 3415/2379 रकबा 7 बिस्वा का खातेदार अपीलाण्ट/वादीगण को घोषित करने का वाद केवल मात्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का ही है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार कर वादी अपीलाण्ट के वाद पत्र को खारिज कर दिया जो सरासर गलत है। आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे क्षेत्राधिकार का बिन्दु नहीं उठाया जा सकता है एवं क्षेत्राधिकार का नहीं होने के आधार पर किसी वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है । अधिनस्थ न्यायालय ने कानून से परे जाकर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है । इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत इन्द्राज का फायदा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

उठाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर वादी अपीलाण्ट के क्षेत्राधिकार एवं आधिपत्य की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा वादी अपीलाण्ट के साथ मारपीट की जिस पर वादी अपीलाण्ट्स ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करया । जिसमें उनके विरूद्ध न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया । ग्राम पंचायत को वादी अपीलाण्ट के अधिकार एवं आधिपत्य की आराजियात में अनापत्ति जारी करने या पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी अपीलाण्ट द्वारा उक्त गलत इन्द्राज से संबंधित सभी दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया एवं बिना किसी आधार के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । इस कारण आलोच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.2.2019 को निरस्त की जावे एवं गुणावगुण पर सुनवाई हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

8. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में गैर मुमकिन आबादी दर्ज रेकार्ड है एवं आबादी भूमि के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से प्रत्यर्थी/प्रतिवादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जो विधि अनुसार स्वीकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत प्रत्यर्थीया के मकान पास होने से ग्राम पंचायत लादूवास द्वारा प्रत्यर्थीया को मकान निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान हो चुकी है। उक्त भूखण्ड प्रत्यर्थीया ने क्रय किया था। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि आबादी में दर्ज होकर प्रत्यर्थीया का मकान निर्माण हो रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । ग्राम लादूवास तहसील माण्डल हाल तहसील करेडा स्थित आराजी नम्बर 2379 रकबा 1 बीघा अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पिता एवं अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 के पति स्व0 श्रीमगना जाट के अधिकार एवं आधिपत्य की थी। तत्कालीन खातेदार मगना पुत्र सोहन जाट ने वादग्रस्त आराजी में से 1000वर्ग गज भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु एस डी एम, भीलवाडा के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 199/1990 दर्ज किये गये । दिनांक 7 जुलाई 1990 को उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वरा आदेश पारित कर 1000 वर्गगज भूमि वादी संख्या 1 के पिता वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट के नाम पर आवासीय प्रयोजनार्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संपरिवर्तन किया गया । उक्त संपरिवर्तनसुदा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा कायम किये गये व नामान्तरकरण संख्या 930 दिनांक 25 जुलाई 1990 के वादी संख्या 1 के पिता व वादिया संख्या 2 के पति मगना पुत्र सोहन जाट के नाम पर दर्ज करने हेतु स्वीकृत किया गया । जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में आराजी नम्बर 3415/2379 रकबा 07 बिस्वा भूमि संपरिवर्तित होकर किस्म गैर मुमकिन आबादी में दर्ज रेकार्ड है। संपरिवर्तन नियमों के तहत खातेदार द्वारा स्वेच्छा से समर्पण उपरान्त ही भूमि बिलानाम दर्ज होती है, अतः संपरिवर्तित भूमि बिलानाम दर्ज किये जाने में कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं है। अपीलाण्ट को संपरिवर्तित भूमि के संबधं में संपरिवर्तन आदेश में त्रुटि का अपील का तो अधिकार प्राप्त है, परन्तु संपरिवर्तित भूमि को खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। खातेदार के स्वयं के आवेदन पर जारी आदेश के तहत संपरिवर्तित भूमि की किस्म बिलानाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो जाने से ऐसी भूमि का वाद पत्र घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नहीं लाया जा सकता है। अपीलाण्ट/वादीगण ग्रामीण क्षैत्र में आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि भूमि संपरिवर्तन नियम 1974 सपठित संशोधन नियम 1988 के तहत ही अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी थे, परन्तु स्वेच्छा से समर्पित भूमि पर पुनः खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद लाने के अधिकारी नहीं थे।

11. आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का अपीलाधीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2017 में यही निवेदन किया गया है कि आबादी भूमि की श्रवणाधिकारिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाये। इस बाबत अधिवक्ता उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन निर्णय आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत बहस का विस्तृत अंकन कर गुणावगुण पर विवेचन उपरान्त विस्तृत निर्णय लिखा जाना अपेक्षित था परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी व धारा 151 के तहत प्रकरण को श्रवणाधिकारिता व क्षेत्राधिकारिता में नहीं होने से खारिज किया है। अपील में बहस के दौरान उभयपक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया ।

12. अपीलाण्ट द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे क्षेत्राधिकार का बिन्दु नहीं उठाया जा सकता है एवं क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर किसी वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है । इस क्रम में आदेश 7 नियम 11 (क) का अवलोकन किया गया । जिस अनसार वाद पत्र का वाद हेतुक प्रकट नहीं होने पर वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है तथा आदेश 7 नियम 11) अनुसार जहॉ वाद पत्र (घ) वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है– वहॉ न्यायालय वाद पत्र नामंजूर कर सकेगा। विद्वान अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा इस पर विस्तृत विवेचन नहीं कर वाद पत्र खारिज किया है। मेरे विनम्र अभिमत में संपरिवर्तित भूमि के क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदार द्वारा स्वयं भूमि सरेण्डर कर देने के उपरान्त खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अपीलाण्ट के पिता मगना जाट द्वारा स्वेच्छा से समर्पण कर कृषि आराजियात का अकृषि उपयोग हेतु संपरिवर्तन चाहा है, जिससे उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो कर भूमि बिलानाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में सपंरिवर्तन नियमों के तहत ही कोई अनुतोष लिया जा सकता है।

13. मेरे विनम्र अभिमत में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के क्रम में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खातेदारी भूमि से संबंधित न होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत वर्जित वाद की श्रेणी में आता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। मात्र विवेचन न किये जाने से अपीलाधीन निर्णय हस्तक्षेप योग्य नहीं माना जा सकता। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीया/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है, जो विधिसम्मत है। जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.2019 को यथावत रखा जाता है । डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/78/2019

उनवान

1. उदय लाल पिता मगना जाट निवासी लादूवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. रम्भा पत्नि मगना जाट निवासी लादूवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती मनभरी पत्नि लोभचन्द जाट, निवासी लादूवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 446/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.2019

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/78/2019** मे **उपखण्ड अधिकारी, करेडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 13.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 13.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.2.2019 को यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 13.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

13/6/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस